

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 2176/11-सी- FP/UP/Road/26962/2017, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 01, 2021

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- आगरा में फतेहाबाद रोड पर अवन्तीबाई चौराहा से कचौराघाट मार्ग (SH-62) के किमी० 10 किमी० से 11 किमी० तक का 6 लेन चौड़ीकरण हेतु 1.4 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 126 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/०८/२०१९/एफ०सी०/६४०, दिनांक-18.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में वांछित सूचना/अभिलेख की छायाप्रतियाँ वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-2904/14-1, दिनांक 18.02.2021 द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध कराया है।

अतः वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित सूचना/अभिलेख की एक छायाप्रति सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 2176/11-सी- FP/UP/Road/26962/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा।
3. अधिशासी, अभियन्ता, (निर्माण खण्ड-1) लोक निर्माण विभाग, आगरा।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

oll